

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर



क्रमांक 2007 / 2455 / 2017 / 1 / 5
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 21 अगस्त, 2017

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, नया रायपुर

विषय:- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार (DIPP) द्वारा Ease of Doing Business 2017 अंतर्गत प्राप्त सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निर्देश।
संदर्भ:- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पत्र दिनांक 26.07.2017.

विषयांतर्गत लेख है कि व्यवसाय में सरलीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा Ease of Doing Business 2017 अंतर्गत विभिन्न सुधारों के क्रियान्वयन का निर्देश दिया गया है। इसके पालन में समस्त विभागों को निम्नांकित बिन्दुओं अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाता है :-

1 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की सिंगल विन्डो प्रणाली से संयोजित सेवाओं संबंधी आवेदन आवेदक से प्राप्त होने पर, आवश्यक होने पर, आवेदन प्राप्ति दिनांक से 7 दिवस में एक बार में सभी पृच्छाओं की पूर्ति हेतु पत्र प्रेषित जाएगा।

2 आवेदको से सिंगल विन्डो प्रणाली से संयोजित सेवाओं संबंधी सभी आवेदन ऑनलाईन स्वीकार किए जाएंगे। इस हेतु विभाग आवश्यकता अनुसार प्रणाली विकसित करेंगे।

आवेदक को उसके सिंगल विन्डो प्रणाली से संयोजित आवेदन की स्थिति/ आपत्ति/निराकरण की जानकारी यथासमय एसएमएस एवं ईमेल द्वारा सिंगल विन्डो प्रणाली से स्वचालित रूप से दी जायेगी।

4 सिंगल विन्डो प्रणाली से संयोजित सेवा का आवेदन लोक सेवा गारंटी के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के 80 प्रतिशत तक की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी सेवा प्रदाय न होने की स्थिति में संबंधित विभागाध्यक्ष को सिंगल विन्डो प्रणाली से ध्यान आकृष्ट करने का एसएमएस एवं ईमेल स्वचालित रूप से दी जाने की व्यवस्था की जाये। इस स्वचालित एसएमएस एवं ईमेल यह स्पष्ट सूचित किया जायेगा की प्रकरण में लोक सेवा गारंटी अधिनियम द्वारा नियत अधिकतम सीमा के उल्लंघन की स्थिति बन रही है अतः शीघ्र कार्यवाही करें।

अपर मुख्य सचिव/मुख्यमंत्री/रुज/20
पंजीयन क्रमांक 909
आवक दिनांक 22/8/17
जावक दिनांक 26/8/17

2632

26/8/17

क्रमांक 23/2017
वि.स./वाणिज्य व उद्योग वि.
दिनांक 24/8/17

सचिव (उप)

Secy (Ops)

22 AUG 2017


23 AUG 2017

....2

//2//

- 5 . संबंधित विभाग आवेदक को अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/पंजीयन/अनुमति जारी किये जाने के पूर्व निरीक्षण की आवश्यकता होने पर, निरीक्षण पश्चात 24 घंटे के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन विभागीय वेबसाईट पर ऑनलाईन अपलोड करेंगे।
- 6 इन निर्देशो के पालन के लिए संबंधित विभागों द्वारा जारी संबंधित विभागीय नियमों/प्रक्रिया को उपरोक्त वर्णित अनुसार संशोधित समझा जायेगा।

संबंधित विभागों के लिए उक्त निर्देशो का पालन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सिंगल विन्डो प्रणाली से वर्तमान में संयोजित 32 सेवाओं (परिशिष्ट अ संलग्न) में करना आवश्यक होगा। भविष्य में सिंगल विन्डो प्रणाली से संयोजित होने वाली अन्य सेवाओं के लिए उनके संयोजन दिनांक से यह निर्देश प्रभावशील होगा।


(डी.डी. सिंह)
सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ क्र. 2008 / 2455 / 2017 / 1 / 5
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 1 अगस्त, 2017

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

24.



| S. No. | Department | Services |
|--------|-------------------|---|
| 1 | CECB | Consent to establish under Water and Air Act |
| 2 | CECB | Consent to operate under Water and Air Act |
| 3 | CECB | Consent to operate renewal, under Water and Air Act |
| 4 | CECB | Authorization under Hazardous Waste Rules |
| 5 | Industries | Stamp Duty - Directorate of industries |
| 6 | Industries | Priority Certificate |
| 7 | Industries | Production Certificate- DTIC/Directorate |
| 8 | Industries | Registration under Boiler Act |
| 9 | Industries | Renewal under 'Registration under Boiler Act |
| 10 | Urban | Registration under Shops and Establishments Act |
| 11 | Urban | Renewal under Shops and Establishments Act |
| 12 | Urban/TCP | Approval of building plans |
| 13 | Urban/TCP | NOC from Fire Department |
| 14 | Labour | Registration under Factories Act. |
| 15 | Labour | Renewal of Factories license |
| 16 | Labour | Permission for engaging contractor for labour |
| 17 | Labour | Renewal of License for contractors |
| 18 | Labour | Factory building plan approval' (under the Factories Act, 1948) |
| 19 | Labour | Registration of principal employer's establishment |
| 20 | Revenue | Change of land use |
| 21 | Electricity | Electricity connection |
| 22 | Water | water connection |
| 23 | Legal Met | Registration under weights and Measures Act |
| 24 | Electricity | Services provided by the Chief Electrical Inspectorate |
| 25 | Industries | Registrations under Boilers Act |
| 26 | Forest | Tree transit permission |
| 27 | Revenue | Tree felling permission |
| 28 | Firms & Societies | Registration under firms and societies |
| 29 | Labour | Registration under Inter State Migrant Workers Act |
| 30 | Labour | Registration under Building and Other construction workers Act |
| 31 | PwD | Road cutting permission |
| 32 | Rural Development | Road cutting permission |